

कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन कमिश्लरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-22.01.2025

विषय:- "आपरेशन किन्वक्शन" के तहत प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप थाना लोहता में मारपीटकर धमकी देने के मामले से सम्बन्धित अभियुक्तगण को न्यायालय उठने तक की सजा व प्रत्येक को 400/- रु0 अर्थदण्ड।

थाना लोहता, किमश्नरेट वाराणसी में पंजीकृत मु0अ0सं0-167/2019 धारा 323/504/506 भादिव से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1- मो. अकरम पुत्र रफीउल्ला 2- फरीदा बानो पत्नी मो. अकरण निवासीगण अलावल थाना लोहता किमश्नरेट वाराणसी को प्रभारी निरीक्षक लोहता व मॉनिटिरंग सेल वाराणसी की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दिनांक-21.01.2025 को माननीय न्यायालय ACJM- 06 वाराणसी द्वारा दोषसिद्ध पाते हुए प्रत्येक को न्यायालय उठने तक की सजा व 400/- रु0 के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

सोशल मीडिया सेल पुलिस उपायुक्त, वरुणा जोन कमिश्ररेट वाराणसी।